न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2012 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. चौखा पिता कमजी, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. माना पिता कमजी, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. लालीया पिता कमजी, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. रकमी पत्नी चौखला, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. गजेन्द्र पिता चौखला, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. दिनेश पिता चौखला, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. कना पुत्री चौखला, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. कालु पिता माना, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. सन्ता पत्नी माना, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. कान्ता पत्नी लालीया, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. कावला पिता हीरिया, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. श्रीमती रूपा पत्नी कावला, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
13. धनजी पिता चौखला, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
14. धनिया पिता रूपा, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

15. गटीया पिता देवजी, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

16. खेमचन्द पिता रूपा, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

17. निरमा पत्नी नारायण पुत्री चोखला, जाति भील, निवासी ढ़ारमा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

18. नारायण पिता जीवा, जाति भील, निवासी ढ़ारमा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. नाकसी पिता दला, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. हुरमा पिता नाथु, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. रमेशचन्द्र पिता नाना, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. शंकरलाल पिता स्वर्गीय लक्ष्मण, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. गेबीलाल पिता लक्ष्मण, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. कालु पिता धनजी, जाति भील, निवासी मंगेलापाड़ा (ओडवाड़िया), तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल
दिनांक 03–08–2012, प्र॰सं॰ 47 / 12

———/———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1. श्री हीरालाल जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 2, 3, 5
3. श्री संजय त्रिवेदी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 1, 2, 4

———::———

निर्णय **दिनांक 22–03–2018**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कुल किता 12 रकबा 2.82 हैक्टर भूमि ग्राम मंगलापाड़ा में स्थित होकर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 16–07–2012 को सभी अप्रार्थीगण नाजायज मजमा बनाकर सामूहिक रूप से उक्त भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश हो गये तथा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल किया जा रहा है। अतएवं अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 03–08–2012 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम पेशी पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर निम्नानुसार अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी :–

''अतः विवादग्रस्त खसरा नंबरान ग्राम ओडवाडिया पर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने व किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कर कब्जा नहीं करने व अन्य किसी से भी कब्जा नहीं करवाने व प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। उपरोक्तानुसार तहरीर तहसीलदार घाटोल को आदेश की पालना हेतु जारी हो। आवश्यकता पड़ने पर तहसीलदार घाटोल सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद लेवें।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03–08–2012 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–08–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 4 की ओर से वकील श्री संजय त्रिवेदी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 व 5 की ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 39 नियम 1, 2 व 3 तथा धारा 151 जा.दी. के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर अपीलान्टगण को सुने बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिनांक 06–08–2012 को दिये हैं, लेकिन बाद में ओवर राईटिंग कर दिनांक 03–08–2012 कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को सुने बिना एकतरफा आदेश दिया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलान्टगण के पिता श्री कमजी को पूर्व खातेदार पूंजीया द्वारा 50 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व जाति रीति रिवाज से पंचों के समक्ष गोद रखा। कमजी की मृत्यु हो जाने पर अपीलान्टगण उक्त भूमि पर काबिज हुए, तब से निरन्तर अपीलान्टगण का कब्जा चला आ रहा है। पूर्व खातेदार पूंजिया व कमजी के पिता अजबा सगे भाई होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। पूंजिया की लड़की मानकी, जीवली व कचरी अपने–अपने ससुराल में रहती हैं। अपीलान्टगण के पिता कमजी कानूनन उक्त भूमियों के मालिक व काबिज हुए तथा कमजी के मरने के बाद अपीलान्टगण उक्त खेतों पर काबिज चले आ रहे हैं। पूंजीया की मृत्यु पर अवैध तरीके से मानकी, जीवली व कचरी ने नामान्तरकरण दिनांक 10–12–1975 से भूमि अपने खाते दर्ज करा ली, जो अपीलान्टगण के मुकाबले अवैध होकर शून्य व बेअसर है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ शपथ पत्र के आधार पर अपीलान्टगण को सुने बिना एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर तहसीलदार घाटोल व थानाधिकारी को इमदाद में लेने का तथ्य अंकित कर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड तथा उभयपक्ष की बहस व अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय को आदेश 39 नियम 1, 2, 3 के तहत अन्तरित

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार है, परन्तु उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रमुख विधिक आधार यह रहता है कि प्रकरण में विषय वस्तु की मूलवाद के निस्तारण तक यथावतता सुनिश्चित की जाये तथा उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का विवेचन कर अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

हमारे समक्ष प्रकरण में सिर्फ प्रमुख तथ्य यह है कि इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध क्या यह न्यायालय सुनने को सक्षम है अथवा नहीं, क्योंकि धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह न्यायालय अंतिम आदेशों के विरूद्ध प्रकरण सुनने को सक्षम है। इस प्रकरण में अपीलान्टगण द्वारा आर.आर.डी. 1985 पेज 351 प्रस्तुत की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध उक्त प्रावधान में वर्णित (धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) Such other orders के तहत की जा सकती है तथा अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रभाव अन्तिम आदेश के समान ही हो। इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 03–08–2012 को अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलान्ट/विपक्षीगण को सुने बिना इस आशय की जारी की है जैसे कि प्रकरण में अन्तिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी हो। इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/विपक्षीगण को सुने बिना तथा प्रथम दृष्टया मौके पर कब्जे की साक्ष्य उपलब्ध हुए बिना अपीलान्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। अधिनस्थ न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा की मूल मंशा जिसमें मूलवाद के निस्तारण तक अथवा अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाते समय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को इस स्तर से दी जानी चाहिए ताकि अस्थाई निषेधाज्ञा अथवा मूलवाद के निस्तारण तक विषय वस्तु की यथावतता सुनिश्चित की जा सके तथा विषय वस्तु में अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं होकर उसके मूल मौके एवं कब्जे की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–08–2012 को जारी उक्त अन्तरिम निषेधाज्ञा स्पष्टया अस्थाई निषेधाज्ञा के रूप में जारी की गयी है, जो स्पष्टया धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय का ही अपील क्षेत्राधिकार है। हम इस प्रकरण में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन इस स्तर पर किया जाना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि पक्षकार के

प्रथम अपील के अधिकारों का हम इस स्तर पर अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निर्णय होने से पूर्व कोई विवेचन किया जाना उचित नहीं समझते हैं, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–08–2012 को जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है वह प्रथम पेशी पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अंतिम अस्थाई निषेधाज्ञा के रूप में जारी कर दी गयी है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03–08–2012 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 14–05–2012 को अपीलान्ट/विपक्षीगण का जवाब प्राप्त कर तथा उभयपक्षों को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्तों पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। अपीलान्टगण को निर्देशित किया जाता है कि वे नियत तिथि दिनांक 14–05–2012 को अधिनस्थ न्यायालय में अपने जवाब के साथ उपस्थित हों। इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पेश होने तक जारी रहेगी।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर